उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 801 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017
देहरादूनः: दिनांक :: 12 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (**अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017**) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमितिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रूपए की रकम से अधिक नहीं है :

2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और उत्तराखण्ड माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे ।

3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तशिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र**,** असाधारण, भाग **2,** खंड **3,** उप-खंड **(i)** में सा.का.नि.सं. **1156** (अ), तारीख **14** सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या **8/2017**-एकीकृत कर तारीख **14** सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं ।

"**स्पष्टीकरण**--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से**,** नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद शिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा ।"।

सारणी

क्र. सं.	उत्पाद	एचएसएन कोड
(1)	(2)	(3)
1	चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं)	4201, 4202, 4203
2	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6	बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं)	46

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

6509
13/10/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

7	तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां	4601, 4602
8	कागज मेश की वस्तुएं	4823
9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं
10	टैक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11	जरी धागा	5605
12	कालीन, रग और दरी	57
13	टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15	कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं)	5705, 9404
16	चमड़े का जूता	6403, 6405
17	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19	मिट्टी के बर्तन तथा मृतिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22	धातु बिदरीवेयर	8306
23	संगीत वाद्य यंत्र	92
24	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25	शंख सीपी शिल्प वस्तुएं	96
26	फर्नीचर, बांस, केन/बेंत के फर्नीचर	
27	गुड़िया और खिलौने	9503
28	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

4. यह अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से प्रवृत समझी जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 801 / 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 12 October, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.801 /2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 12 October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to specify the casual taxable persons making taxable supplies of handicraft goods as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of ten lakh rupees in a financial year:

2. The casual taxable persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

3. The above exemption shall be available to such persons who are making inter-State taxable supplies of handicraft goods and are availing the benefit of notification No. 8/2017 – Integrated Tax dated the 14th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156(E), dated the 14th September, 2017.

Explanation - For the purposes of this notification, the expression "handicraft goods" means the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonized System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process:-

Table

Sl No.	Products	HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments)	4201, 4202, 4203

2.	Carved wood products (including boxes, inlay work, cases, casks)	4415, 4416
3.	Carved wood products (including table and kitchenware)	4419
4.	Carved wood products	4420
5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets	4601, 4602
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	including 50, 58, 62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet, rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
15.	Coir products (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand)	6802
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clay products, including terracotta	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of chapters 73 and 74	8306
22.	Metal bidriware	8306
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani miniature	97

4. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 15th day of September, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary